अधूरा वाक्य। जिन मामलों में नमूने उन व्यक्तियों की अनुपस्थिति में लिए गए हों, उनमें स्वामित्व, मूल और मिलावट के लिए दायित्व किस पर आएगा, यह स्थापित करने की कठिनाइयां इतनी स्पष्ट हैं कि इसका विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान के साथ मैं यह मानना है कि विक्रेता, प्रेषक या प्राप्तकर्ता द्वारा नमूना देने से इनकार करने या स्थान से जानबूझकर या चालाकी से हट जाने को रोकथाम नहीं माना जाएगा, यह विचार वास्तव में कानून के मूल उद्देश्य और वस्तुओं को कमजोर करने की दिशा में जाता है। इसलिए, मैं ऐसे प्रस्ताव से विनम्र असहमति दर्ज करता हूँ।

(21) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मैं सिद्धांत और पूर्वाधार पर यह मानता हूँ कि बिशन दास तेलु राम के मामले का निर्णय गलत तरीके से किया गया है और यहाँ उसे निरस्त करता हूँ।

(22) याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया तर्क कि अभियोजन के आरोप पर ही, कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, इस प्रकार अस्थिर है और यहाँ खारिज किया जाता है। याचिका खारिज की जाती है और मामला परीक्षण न्यायालय को शीघ्र निपटारे के लिए वापस भेजा जाता है।

के.टी.एस.

पुनरीक्षण सिविल

हरबंस लाल, जे. के समक्ष

जे. एस. अरोड़ा (डॉ.) (जे. डी.) - याचिकाकर्ता

बनाम

जे. एस. अरोड़ा (प्रोफ.) और अन्य-(डी. एच.) -प्रतिवादी

सिविल संशोधन संख्या 1977 का 1056

27 मार्च 1978

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (III का 1949) जैसा कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ संशोधन) अध्यादेश (14 का 1976) द्वारा संशोधित-धाराएँ 13, 13-ए, 15, 17 और 18-बी- अध्यादेश के संचालन के दौरान पारित निष्कासन आदेश- अध्यादेश का समय सीमा समाप्त होने के बाद-निष्कासन आदेश-क्या निष्पादन योग्य बन जाता है- धारा 13-ए के तहत आदेश-क्या इसे धारा 13 के तहत एक आदेश माना जा सकता है।

यह माना गया कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ संशोधन) अध्यादेश 1976 की पूरी योजना और उसके आवश्यक उद्देश्य को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यादेश को बनाकर, कानून निर्माता ने स्थायी या दीर्घकालिक

स्वरूप का नया और कठोर निष्कासन का अधिकार सृजित करना चाहा। अध्यादेश की धारा 2 से यह स्पष्ट है कि धारा 5 के अध्यादेश के तहत मकान मालिकों को प्रदत्त निष्कासन और तत्काल कब्जा प्राप्त करने के अधिकार, जिन्हें पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अधीन किया गया था, केवल अध्यादेश के संचालन की अवधि के लिए ही सुनिश्चित किए गए थे, न कि उसके बाद। अस्थायी विधान के परिस्थितियों और पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि अगर अध्यादेश की अवधि के दौरान कोई मकान मालिक अपने परिसर को किरायेदार के साथ पट्टे पर लेने में सफल हो गया था, निष्कासन का आदेश वास्तव में, और तथ्यात्मक रूप से, इसके तार्किक अंत तक पहुँचाया गया था, किरायेदार को पुनः उस दी गई संपत्ति में बहाल करने का अधिकार पुनर्जीवित नहीं होगा। हालांकि, जिन मामलों में धारा 13-ए के तहत किराया नियंत्रक द्वारा निष्कासन का आदेश पारित किया गया था लेकिन वह निष्पादित नहीं हुआ था क्योंकि किरायेदार विवादित परिसर में कब्जा में बना हुआ था, ऐसे मामलों में आदेश की अवधि को अध्यादेश के स्वचालित अंत के बाद विस्तारित नहीं किया जा सकता।

(अनुच्छेद 6)

यह निर्धारित किया गया कि जहाँ अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत भूस्वामी और किरायेदार दोनों को अपने-अपने दावों को साबित करने और स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार और दायित्व होता है जब तक कि निष्कासन के लिए याचिका का निर्णय नहीं हो जाता, एक संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान अध्यादेश की धारा 6 द्वारा मूल अधिनियम में धारा 18-बी जोड़कर किया गया था और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि किरायेदार को कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय जब रेंट कंट्रोलर द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जाए। आगे, धारा 13-ए के उद्देश्यों के लिए रेंट कंट्रोलर को छोटे मामलों के न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करना होगा। किरायेदार को उसके अपील के अधिकार से भी वंचित किया गया था, जो उसे अन्यथा अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राप्त था। अधिकार की प्रकृति और उस पर किए गए निर्णय के तरीके को देखते हुए, धारा 13ए के तहत निष्कासन के आदेश को अधिनियम की धारा 13 के तहत के एक के रूप में माना नहीं जा सकता है। धारा 13ए के तहत आदेश एक विशिष्ट और स्वतंत्र आदेश है जिसका धारा 13 से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत बाधा अध्यादेश की समाप्ति के बाद तुरंत आकर्षित हो जाती है और धारा 13A के अंतर्गत आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता।

(अनुच्छेद 9)

1949 के अधिनियम III की धारा 15(5) और सी.पी.सी. की धारा 115 के अंतर्गत याचिका, श्री जे. पी. गुप्ता, सब जज प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के न्यायालय के 30 जुलाई, 1977 को दिए गए आदेश की संशोधन के लिए, जिसमें दायर की गई आपत्तियों को खारिज किया गया था, लेकिन बिना किसी खर्च के।

याचिकाकर्ता के लिए गोकल चंद मित्तल, अधिवक्ता और अरुण जैन, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए आर. पी. बाली, अधिवक्ता।

निर्णय

हरबंस लाल, जे.

(1) यह आदेश सिविल संशोधन संख्या 1056, 1656, 1320, 1669, 1714, 1720 और 1799 का 1977 का निपटान करेगा, क्योंकि संशोधन याचिकाओं के खिलाफ दायर किए गए आदेशों से समान प्रश्न तथ्य और कानून के उठते हैं। पक्षों के तर्कों को उचित रूप से समझने के लिए, सिविल संशोधन संख्या 1056 का 1977 से संबंधित तथ्य संक्षेप में बताए गए हैं।

(2) याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कासन का आदेश प्रतिवादियों द्वारा पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 (इसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13-ए के तहत, जैसा कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ संशोधन) अध्यादेश (संख्या 14 का 1976) (इसे आगे 'अध्यादेश' कहा जाएगा) द्वारा संशोधित किया गया था, किराया नियंत्रक द्वारा 27 अप्रैल, 1977 को पारित किया गया था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को विवादित परिसर से बेदखल करने के लिए कार्यवाही की गई थी। याचिकाकर्ता ने धारा 47, पढ़ी गई धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आपत्तियाँ दायर कीं, यह दावा करते हुए कि अध्यादेश 9 मई, 1977 से प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था और संचालन समाप्त हो गया था। नतीजतन, निष्कासन का आदेश भी समाप्त हो गया था और निष्पादन योग्य नहीं था। इसे डिक्रीधारक प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई थी। आपत्तियों को सबऑर्डिनेट जज, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा विचारणीय आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। वर्तमान संशोधन याचिका उक्त आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

(3) याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित निष्कासन के आदेश की निष्पादनीयता मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है:

   (1) कि 27 अप्रैल, 1977 को दिनांकित निष्कासन का आदेश, जब वह पारित किया गया था, वैध था, लेकिन जिस अध्यादेश के तहत वह पारित किया गया था, वह 9 मई, 1977 को समाप्त होने के बाद स्वयं को समाप्त कर दिया और निष्प्राण हो गया;

   (2) यहां तक कि यदि निष्कासन आदेश वैध था, तो भी अध्यादेश की समाप्ति के बाद वह अधिनियम की धारा 13 के तहत निष्पादन योग्य नहीं था; और

   (3) कि निष्कासन का आदेश अध्यादेश द्वारा अधिनियम में परिचयित धारा 13A के तहत पारित किया गया था, लेकिन ऐसे आदेशों के निष्पादन के लिए कोई मशीनरी प्रदान नहीं की गई थी। वही अधिनियम की धारा 17 के तहत निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

श्री एच. एल. सारिन और श्री जी. सी. मित्तल, जो कुछ संशोधन याचिकाकर्ताओं के लिए जानकार वकील हैं, ने यह तर्क दिया है कि 17 दिसंबर, 1976 को अध्यादेश के प्रवर्तन से पहले, किराया नियंत्रक अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित आधारों

पर निष्कासन का आदेश पारित कर सकता था। अध्यादेश के माध्यम से, धारा 13A को अधिनियम की धारा 13 के बाद पेश किया गया था। इस प्रावधान के तहत, यदि केंद्र सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवंटित किसी आवासीय भवन में रह रहे मकान मालिक को इस आधार पर उसे खाली करने का आदेश दिया गया था कि वह चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में अपने नाम या अपनी पत्नी या निर्भर बच्चे के नाम पर एक आवासीय या नियोजित भवन का मालिक था, तो उसे धारा 18B में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने किरायेदार को दिए गए आवासीय भवन का तत्काल कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस प्रकार, धारा 13A के अंतर्गत निष्कासन का आदेश, अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट विचारों से पूरी तरह से अलग था। अध्यादेश के तहत धारा 13A और 18B और अन्य प्रावधानों को मुख्य अधिनियम में पेश किया गया था, जो संविधान के अनुसार छह महीने तक अस्तित्व में रहा। वही 9 मई, 1977 को समाप्त हो गया, क्योंकि संसद ने अध्यादेश के प्रावधानों को विस्तारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया था, न ही इसके जीवन को संविधान के किसी प्रावधान के तहत विस्तारित किया गया था। अध्यादेश की समाप्ति के बाद, जो स्पष्ट रूप से एक अस्थायी कानून था, उसके प्रावधानों के तहत पारित सभी निष्कासन आदेशों ने अपना जीवन और ऊर्जा खो दी और समाप्त हो गए। किसी भी कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकार और निहित हो गए व्यक्तियों के पक्ष में संचालित रहते हैं केवल सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत, लेकिन उक्त प्रावधान केवल उन कानूनों और कानूनों पर लागू होता है जिन्हें संशोधन या रद्द करने वाले अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था और वही उन पर लागू नहीं होता है जो एक अस्थायी अवधि के लिए थे और केवल समय के प्रवाह से समाप्त हो गए थे। बी. बंसगोपाल बनाम एम्परर (1), जतींद्र नाथ गुप्ता बनाम प्रोविंस ऑफ बिहार (2), एस. कृष्णन और अन्य बनाम द स्टेट ऑफ मद्रास और अन्य (3), और गोपी चंद बनाम दिल्ली प्रशासन, (4) पर भरोसा किया गया था।

(4) एस. कृष्णन के मामले में (सुप्र) पतंजलि शास्त्री, जे. (जैसा कि वह तब थे), जिन्होंने न्यायालय की ओर से बात की थी, यह माना गया कि एक अस्थायी कानून के संबंध में सामान्य नियम यह है कि विपरीत विशेष प्रावधान के अभाव में, इसके तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रही कार्यवाही उस समय स्वतः समाप्त हो जाएगी जैसे ही कानून समाप्त हो जाता है। इस कानूनी सिद्धांत को गोपी चंद के मामले में (सुप्र) में मंजूरी दी गई थी। हालांकि, उपर्युक्त सभी मामलों में, प्रश्न यह था कि क्या एक अस्थायी कानून द्वारा बनाए गए अपराध के लिए आरोपी का मुकदमा कानून की समाप्ति के बाद चलाया जा सकता है, और यह माना गया कि मुकदमे की कार्यवाही एक अस्थायी कानून की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है।

(5) प्रतिवादियों के लिए जानकार वकीलों ने ओडिशा राज्य बनाम भूपेंद्र कुमार बोस और अन्य (5) पर भरोसा किया, जिसमें एक नगरपालिका समिति के चुनावों को उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में अवैध ठहराया गया था। इसके बाद,

ओडिशा नगरपालिका चुनाव वैधीकरण अध्यादेश पारित किया गया जिसने उन चुनावों को अदालत द्वारा निर्णय के बावजूद वैध बना दिया। उक्त अध्यादेश छह महीने बाद समाप्त हो गया। नगरपालिका चुनाव को अवैध घोषित करने

वाले पक्ष ने फिर से एक रिट याचिका दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि उक्त अध्यादेश के समय के प्रवाह से समाप्त होने के बाद, नगरपालिका चुनावों की अवैधता, जो उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा ठीक की गई थी, पुनः जीवित हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने यह माना कि एक अस्थायी अधिनियम के संबंध में निरस्त करने वाले अधिनियम के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और यह एक सामान्य नियम है कि एक अस्थायी कानून के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ लिए गए कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी जैसे ही कानून समाप्त हो जाता है और यह विधानमंडल के लिए है कि वे एक अस्थायी कानून में विशेष प्रावधान बनाकर विसंगत परिणामों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। एस. कृष्णन के मामले (सुप्रा) पर विचार करने के बाद, उनके लॉर्डशिप ने माना, -

> "लेकिन अस्थायी अधिनियम की समाप्ति के प्रभाव के बारे में सामान्य नियम अनम्य नहीं है और अपवादों को स्वीकार करता है। अस्थायी अधिनियम की समाप्ति का क्या प्रभाव होगा इस पर निर्भर करेगा कि अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न अधिकार या दायित्व की प्रकृति क्या है और वे किस चरित्र के हैं, चाहे उक्त अधिकार और दायित्व स्थायी हैं या नहीं। इसलिए, अस्थायी अधिनियम की समाप्ति के प्रभाव पर विचार करते समय किसी अनम्य नियम को निर्धारित करना असुरक्षित होगा। यदि अधिनियम द्वारा सृजित अधिकार स्थायी चरित्र का है और व्यक्ति में निहित हो गया है, तो उस अधिकार को यह कहकर नहीं लिया जा सकता कि उसे सृजित करने वाला अधिनियम समाप्त हो गया है। यदि किसी व्यक्ति पर अधिनियम के तहत कोई दंड लगाया गया है और उस पर प्रभावित किया गया है, तो अधिनियम की समाप्ति के बाद भी दंड का लगाना जीवित रहेगा। यही मामले में सही कानूनी स्थिति प्रतीत होती है।"

भूपेंद्र कुमार बोस के मामले (5 सुप्र) में निर्णय के अनुपात को एम/एस. वेलजी लखामसी और अन्य बनाम एम/एस. बेनेट कोलमैन और अन्य, (6), में मान्यता प्राप्त किया गया, जिसमें मकान मालिक ने एक गोदाम का निर्माण किया था जो अप्रैल, 1944 में बॉम्बे डॉक्स में नष्ट हो गया था। तबाह क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए, बॉम्बे के गवर्नर ने सिटी ऑफ बॉम्बे (बिल्डिंग वर्क्स रिस्ट्रिक्शन) अधिनियम, 1944 पारित किया, जो नगरपालिका आयुक्त की अनुमति के बिना पुनर्निर्माण को रोकता था। नगरपालिका आयुक्त ने मकान मालिक को गोदाम के रूप में अस्थायी संरचना बनाने की लिखित अनुमति दी, जिसके तहत किसी भी सुधार या नगर नियोजन योजना के अनुसार, उक्त निर्माण को किसी भी समय ध्वस्त करने का आदेश दिया जा सकता है। मकान मालिक ने गोदाम बनाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अपीलकर्ता को किराए पर दे दिया। नगर नियोजन योजना के अंतिमीकरण के बाद, मकान मालिक ने किरायेदार को उसे खाली करने का नोटिस जारी किया। इस बीच, सितंबर, 1958 में, नगरपालिका आयुक्त ने मकान मालिक को उनके द्वारा अनुमति के अनुसार बनाई गई

संरचना को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया। किरायेदार के परिसर को खाली न करने पर, बॉम्बे में लागू रेंट कंट्रोल अधिनियम के तहत निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया गया। जब लेसी ने परिसर खाली करने में असफलता दिखाई, तो बॉम्बे में लागू रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा निष्कासन का

आदेश पारित किया गया था, लेकिन अपील में उसे निरस्त कर दिया गया। दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन का आदेश पुनः बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील में, उठाया गया एक तर्क यह था कि 1944 का बॉम्बे अधिनियम, जिसके तहत नगर आयुक्त ने शर्तें लगाकर अनुमति दी थी, एक अस्थायी कानून था और इसलिए, उसकी समाप्ति पर, उसे विध्वंस का आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। उनके लॉर्डशिप्स ने सुप्रीम कोर्ट में पैराग्राफ 15 में इस प्रकार निर्धारित किया:

> "यह सच है कि एक अस्थायी कानून के खिलाफ किए गए अपराधों का, एक सामान्य नियम के रूप में, कानून की समाप्ति से पहले अभियोजन और दंडित किया जाना चाहिए और विपरीत विशेष प्रावधान के अभाव में, एक व्यक्ति के खिलाफ अस्थायी कानून के तहत लिए जा रहे आपराधिक कार्यवाही स्वतः ही कानून की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारी राय में, आपराधिक कार्यवाही या भौतिक प्रतिबंध की समानता को उन अधिकारों और दायित्वों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जिन पर हम यहां चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि यह भी उतना ही स्थापित है कि अस्थायी कानून के तहत संपन्न और पूर्ण किए गए लेनदेन अक्सर इसके समाप्त होने के बावजूद बने रहते हैं और इसी तरह वहां प्राप्त या अर्जित अधिकार या दायित्व भी, कानून के प्रावधानों और अधिकारों और दायित्वों के स्वरूप और प्रकृति के आधार पर निर्भर करते हैं।"

इस विषय पर अंग्रेजी मामलों की एक संख्या पर चर्चा करने के बाद, आगे इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

> "उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि क्या अस्थायी कानून के प्रावधानों से प्रवाहित होने वाले प्रतिबंध, अधिकार और दायित्व समय के प्रवाह से स्वतः समाप्त होते हैं या वे कानून की समाप्ति के बाद भी जीवित और बने रहते हैं, यह कानून की व्याख्या और अधिकारों, प्रतिबंधों और दायित्वों के स्वरूप और प्रकृति पर निर्भर करता है और इस संबंध में कोई कठोर या अव्यवस्थित नियम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, हमें विचाराधीन अस्थायी कानून की प्रावधानों की जांच करनी चाहिए, अर्थात बॉम्बे अधिनियम, 1944, जो लंबे समय से समाप्त हो चुका है और परमिट (एग्जिबिट 'ए') की जांच करनी चाहिए कि क्या उसमें से किसी भी भाग से उत्पन्न होने वाले प्रतिबंध, अधिकार और दायित्व अधिनियम की समाप्ति के बाद बने रहे और जीवित रहे। अधिनियम, जैसा कि उसके प्रस्तावना और उद्देश्य और कारणों से स्पष्ट है, विस्फोटों से तबाह हुए क्षेत्र में योजनाबद्ध शहरी नियोजन की सोची गई योजना के साथ संघर्ष कर सकने वाले अस्थिर तरीके से भवनों के विकास को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। अधिनियम की धारा 3, जो संबंधित क्षेत्र में भवन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित थी, उसमें नगर आयुक्त को इस तरह की शर्तें लगाने का अधिकार दिया गया था, जो वह भवन या संरचना के निर्माण के लिए अनुमति देते समय निर्दिष्ट कर सकते थे। वर्तमान मामले में, नगर आयुक्त ने प्रतिवादियों को प्रश्न में प्लॉट पर निर्माण करने की अनुमति दी, इस स्पष्ट शर्त के अधीन कि उन्हें जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए, बॉम्बे बिल्डिंग टाउन

> प्लानिंग अधिनियम के तहत बनाई जा सकने वाली किसी भी सुधार योजना को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें उस संरचना को गिरा देना होगा। इस प्रकार, निर्माण की अनुमति देने के लिए लगाई गई शर्तों से प्रवाहित होने वाले

अधिकार और दायित्व भवन के स्वामित्व से सदा के लिए जुड़े हुए थे और वे बॉम्बे अधिनियम, 1944 की अवधि तक सीमित नहीं थे। तदनुसार, हम संतुष्ट हैं कि बॉम्बे अधिनियम, 1944 की धारा 3 और 8 के प्रावधान स्थायी थे, जिनके तहत लगाए गए प्रतिबंधों, अधिकारों और दायित्वों के संबंध में। इसलिए, उन्होंने नगर आयुक्त, ग्रेटर बॉम्बे द्वारा परमिट (एग्जिबिट 'ए') देने के समय लगाई गई व्यक्तिगत शर्तों के तहत प्राप्त किए गए अधिकार समय सीमा के अधीन नहीं थे और अधिनियम की समाप्ति के साथ नहीं समाप्त हुए।"

(6) इसलिए, कानून की उपरोक्त धारणा को हमारा मार्गदर्शक सितारा मानते हुए, हमें अध्यादेश की योजना और उसके तहत बनाए गए अधिकारों की प्रकृति का परीक्षण करना होगा। मकान मालिकों के हितों और किरायेदारों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, जो मकान मालिक बिना किसी प्रतिबंध के किरायेदारों को बेदखल करने के लिए उत्सुक थे और किरायेदारों के लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की अनदेखी कर रहे थे, साथ ही उन किरायेदारों के लिए भी जो मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के बावजूद अपने कब्जे में परिसर रखने के लिए उतने ही उत्सुक थे; लगभग हर प्रांत में किराया प्रतिबंध कानून पारित किए गए और पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949, पंजाब में पारित किया गया। धारा 13 के विभिन्न उपधाराओं में एक मकान मालिक द्वारा किरायेदार को बेदखल करने या उत्तरार्द्ध द्वारा अपने पट्टे की रक्षा करने के सभी आधारों को सम्मिलित किया गया था। पीड़ित पक्ष को भी धारा 15(1)(बी) के तहत किराया नियंत्रक के आदेश को अपील द्वारा चुनौती देने का अधिकार प्रदान किया गया था, साथ ही धारा 15 की उपधारा (5) के तहत उच्च न्यायालय में संशोधन का अधिकार भी दिया गया था। निष्कासन का आदेश क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय के डिक्री के रूप में मकान मालिक द्वारा निष्पादित किया जा सकता था, धारा 17 के तहत। 1976 में, भारत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि जिन कर्मचारियों ने अपने नाम या अपनी पत्नी या निर्भर बच्चों के नाम पर आवासीय या नियोजित भवनों का निर्माण किया था, उन्हें सरकारी भवनों में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक को संक्षेप में निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की गईं ताकि उन नौकरशाहों के किरायेदारों के खिलाफ मकान मालिकों द्वारा दायर आवेदनों पर अध्यादेश लागू करके निष्कासन के आदेश पारित किए जा सकें। इस अध्यादेश के तहत ही मकान मालिक को अधिनियम की धारा 13-ए के तहत अपने परिसर से किरायेदार का तत्काल कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जो अध्यादेश के तहत जोड़ा गया था। धारा 18-बी के तहत किराया नियंत्रक द्वारा संक्षेप में निर्णय के लिए एक अलग प्रक्रिया भी निर्धारित की गई थी जिसमें किरायेदार को अपने निष्कासन के लिए मकान मालिक द्वारा दायर याचिका के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने का सामान्य अधिकार नहीं था, जो धारा 18-बी की उपधारा (4) के तहत था। किराया नियंत्रक से समन प्राप्त करने पर किरायेदार को स्वयं की रक्षा के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। यदि यह अनुमति प्रदान नहीं की गई, तो माना जाता था कि किरायेदार द्वारा निष्कासन के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया

गया है। उपधारा (7) में आगे प्रावधान किया गया था कि नियंत्रक को "छोटे मामलों की अदालत की प्रक्रिया और प्रक्रिया का पालन करना है, जिसमें साक्ष्य का रिकॉर्डिंग शामिल है।" उपधारा (8) के तहत, अपील या द्वितीय अपील का

अधिकार भी हटा दिया गया था। हालांकि, अध्यादेश जारी करने वाले प्राधिकरण को अध्यादेश में निहित प्रावधानों की गंभीर प्रकृति का पूरी तरह से ज्ञान था और उसने इसे एक अस्थायी स्वरूप के रूप में इलाज करने का इरादा स्पष्ट रूप से अध्यादेश की धारा 2 में व्यक्त किया था, जो पुनः प्रस्तुत की गई है:

> "इस अध्यादेश के संचालन की अवधि के दौरान, पूर्वी पंजाब किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949, जैसा कि चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में लागू है (इसे आगे 'मुख्य अधिनियम' कहा जाएगा), धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा।"

यह इरादा इस तथ्य द्वारा और भी मजबूत किया गया था कि छह महीने की समाप्ति के बाद, इस अध्यादेश को संसद में उचित कानून बनाकर किसी स्थायी कानून में परिवर्तित नहीं किया गया था, न ही इसे संविधान के प्रावधानों के तहत विस्तारित किया गया था। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय सरकार की यह नीति कि उसके कर्मचारियों को उन्हें आवंटित सरकारी परिसरों को खाली करने के लिए कहा जाए अगर वे अपने स्वयं के परिसर के मालिक हों, को भी त्याग दिया गया था। यही कारण प्रतीत होता है कि अध्यादेश में निहित कानून को स्थायी कानून नहीं बनाया गया था। अध्यादेश को लागू करने के समय भी, भारत सरकार इसमें निहित मूल नीति को स्थायी रूप से लागू करने के लिए उत्सुक प्रतीत नहीं होती थी। इस प्रकार, अध्यादेश की पूरी योजना और इसके आवश्यक उद्देश्य को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यादेश बनाने वाली कानून निर्माण प्राधिकरण ने किसी स्थायी या टिकाऊ प्रकृति के नए और कठोर निष्कासन के अधिकार को सृजित करना चाहा था। अध्यादेश की धारा 2 से यह स्पष्ट है कि धारा 5 के तहत मकान मालिकों को प्रदत्त निष्कासन और तत्काल कब्जा प्राप्त करने के अधिकार, जिन्हें मुख्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया गया था, केवल अध्यादेश के संचालन की अवधि के लिए ही सुनिश्चित किए गए थे, न कि उसके बाद। इन सभी परिस्थितियों और अस्थायी विधान की पृष्ठभूमि से यह काफी उचित है कि अगर अध्यादेश की अवधि के दौरान कोई मकान मालिक अपने परिसर पर किरायेदार के साथ पट्टे पर कब्जा करने में सफल रहा था, निष्कासन का आदेश वास्तव में, और तथ्यात्मक रूप से, इसके तार्किक अंत तक पहुँचाया गया था, किरायेदार को पुनः उस दी गई संपत्ति में बहाल करने का अधिकार पुनर्जीवित नहीं होगा। हालांकि, जिन मामलों में धारा 13-ए के तहत किराया नियंत्रक द्वारा निष्कासन का आदेश पारित किया गया था लेकिन वह निष्पादित नहीं हुआ था क्योंकि किरायेदार विवादित परिसर में कब्जा में बना हुआ था, ऐसे मामलों में आदेश की अवधि को अध्यादेश के स्वचालित अंत के बाद विस्तारित नहीं किया जा सकता।

(7) उपरोक्त व्याख्या के आलोक में, प्रतिवादियों के लिए जानकार वकील का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 13-ए के तहत मकान मालिकों के पक्ष में पारित निष्कासन का आदेश, अध्यादेश के समाप्त होने के बावजूद जीवित रहा और वह अधिनियम की धारा 13 के तहत निष्कासन के आदेश के समान निष्पादन योग्य था, बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे खारिज करना होगा। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि धारा 13-ए के तहत निष्कासन का आदेश अध्यादेश

के बाद भी जीवित है, तो अगला प्रश्न यह है कि क्या ऐसा आदेश अध्यादेश के अस्तित्व समाप्त होने के बाद निष्पादन योग्य है या नहीं?

(8) याचिकाकर्ता के लिए जानकार वकील के अनुसार, विधानमंडल का निर्देश विशेष रूप से अधिनियम की धारा 13(1) में निहित है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी किरायेदार धारा 13 में उल्लिखित किसी भी आधार पर पारित निष्कासन के आदेश के निष्पादन के अलावा निकाला नहीं जा सकता है। उक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"13(1) किसी भवन या किराये की जमीन का कब्जा रखने वाला किरायेदार, इस अधिनियम के आरंभ होने से पहले या बाद में पारित डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा, और चाहे किराये की समाप्ति से पहले या बाद में, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार या 1947 के पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम की धारा 13 के तहत बनाए गए आदेश के परिणामस्वरूप वहां से निकाला नहीं जाएगा, जिसे बाद में संशोधित किया गया।"

यह तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान मामलों में, धारा 13-ए के तहत पारित निष्कासन का आदेश धारा 13 के तहत निष्कासन के आदेश की प्रकृति को नहीं धारण कर सकता। जानकार वकील ने यहां तक जोर देते हुए कहा कि अध्यादेश के प्रवर्तन के दौरान भी, धारा 13-ए के तहत पारित निष्कासन का आदेश अधिनियम की धारा 17 के तहत निष्पादन योग्य नहीं था, जो केवल धारा 10 या धारा 13 के तहत आदेशों के निष्पादन के लिए प्रावधान करता है और किसी अन्य आदेश के लिए नहीं। प्रतिवादियों के लिए जानकार वकील के अनुसार, अध्यादेश के माध्यम से धारा 13-ए को बनाकर, केवल एक अतिरिक्त निष्कासन का आधार निर्धारित किया गया था और इन परिस्थितियों में, धारा 13-ए को अधिनियम की धारा 13 के एक हिस्से के रूप में या उसी के अपवाद या उपबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से, श्रीमती पद्मा वती बनाम मेहता फकीर चंद (7), और मतु राम बनाम राम दित्ता और अन्य (8) पर निर्भरता की गई है। प्रतिवादियों के लिए जानकार वकील के अनुसार, उपरोक्त निर्णयों का अनुपात वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उन मामलों में, निष्कासन का आदेश संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत मुकदमों में पारित किया गया था, न कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत, और इसलिए, निष्कासन के आदेशों को अधिनियम की धारा 13 के तहत आदेशों के रूप में संभवतः नहीं माना जा सकता है। यदि धारा 13-ए के तहत निष्कासन का आदेश धारा 13 के तहत एक आदेश के रूप में माना जाता है, तो स्पष्ट रूप से धारा 13(1) के तहत लगाया गया बाधा नहीं होगा और याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क सभी पदार्थ से रहित हो जाएगा और ऐसा आदेश अधिनियम की धारा 17 के तहत भी निष्पादन योग्य होगा। हालांकि, अगर वर्तमान मामलों में धारा 13-ए के तहत निष्कासन का आदेश धारा 13 के तहत एक आदेश के रूप में नहीं माना जाता है, तो आगे का प्रश्न यह होगा: क्या वह अध्यादेश की समाप्ति के बाद निष्पादन योग्य है, भले ही वह अध्यादेश के जीवनकाल के दौरान निष्पादन योग्य था?

(9) अध्यादेश की धारा 2 की गहन समीक्षा से यह संदेह नहीं रहता कि अध्यादेश के जीवनकाल के दौरान, अधिनियम के प्रावधान अध्यादेश में निहित प्रावधानों के अधीन थे और इस प्रकार धारा 13-ए के तहत पारित निष्कासन के आदेश को अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित एक आदेश के रूप में माना जाना था। हालांकि धारा 13-ए का उल्लेख धारा

17 में विशेष रूप से नहीं किया गया है, जिसमें निष्कासन के आदेश के निष्पादन का प्रावधान किया गया है, फिर भी अध्यादेश के अस्तित्व के दौरान धारा 13-ए के तहत आदेश को इस व्याख्या को अपनाकर निष्पादन योग्य नहीं बनाया

जा सकता कि अध्यादेश के तहत निष्कासन के आदेशों के निष्पादन के लिए कोई मशीनरी प्रदान नहीं की गई थी। अध्यादेश बनाने वाली प्राधिकरण का इरादा काफी स्पष्ट था कि धारा 13-ए के तहत निष्कासन का आदेश मकान मालिक को तत्काल कब्जे का अधिकार प्रदान करने के लिए था और इस प्रकार, किरायेदार को तत्काल कब्जा देने की दायित्व के अंतर्गत होना चाहिए। चूंकि निष्कासन के आदेश के निष्पादन की मशीनरी केवल अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान की गई थी, इसलिए यह निष्कर्ष निकालने से बचा नहीं जा सकता है कि अध्यादेश के इरादे को पूरा करने के लिए, यह माना जाना चाहिए कि धारा 13-ए के तहत निष्कास न का आदेश धारा 17 के तहत निष्पादन योग्य था, उसी प्रकार जैसे धारा 13 के तहत एक आदेश के लिए होता है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि धारा 13-ए के तहत के आदेश वास्तव में अधिनियम की धारा 13 के तहत के आदेश हैं। जहां धारा 13 के तहत, मकान मालिक और किरायेदार दोनों को निष्कासन के लिए याचिका तय करने से पहले अपने-अपने दावों को साबित करने और स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार और दायित्व है, वहीं धारा 6 के तहत अध्यादेश द्वारा मुख्य अधिनियम में धारा 18-बी जोड़कर संक्षेप में प्रक्रिया प्रदान की गई थी, और यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि किरायेदार को किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय जब किराया नियंत्रक द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जाए, और आगे यह कि धारा 13-ए के तहत आदेश पारित करने के लिए किराया नियंत्रक छोटे मामलों की अदालत की प्रक्रिया का पालन करेंगे। किरायेदार को उसके अपील के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था, जो उसे अन्यथा अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राप्त था। अध्यादेश और अधिनियम की गहन समीक्षा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न केवल केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी होने के नाते मकान मालिक को एक नया और कठोर निष्कासन का अधिकार प्रदान किया गया था, बल्कि एक अलग संक्षेप प्रक्रिया भी निर्धारित की गई थी। अधिकार की प्रकृति और उस पर निर्णय किए जाने के तरीके को देखते हुए, धारा 13-ए के तहत निष्कासन का आदेश अधिनियम की धारा 13 के तहत एक आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण और धारा 13-ए के तहत आदेश एक अलग और स्वतंत्र आदेश होने के कारण, जिसका धारा 13 से कोई संबंध नहीं है, अधिनियम की धारा 13(1) की बाधा अध्यादेश की समाप्ति के बाद तुरंत आकर्षित हो जाएगी और धारा 13-ए के तहत आदेश निष्पादन योग्य नहीं होगा।

(10) इस प्रकार, यह माना जाता है कि वर्तमान मामलों में धारा 13-ए के तहत निष्कासन का आदेश अध्यादेश की समाप्ति के बाद स्वयं समाप्त हो गया है, न ही वह निष्पादन योग्य है। इस निष्कर्ष के दृष्टिकोण से, सभी संशोधन

याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और विवादित आदेशों को निरस्त किया जाता है। हालांकि, खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

के. टी. एस.

पुनरीक्षण सिविल

एस. एस. संधावालिया और जे. एम. टंडन, न्यायाधीशों के समक्ष

करतार सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य-प्रतिवादी

आपराधिक संशोधन संख्या 1973 का 639

29 मार्च 1978

पंजाब आबकारी अधिनियम (I का 1914)-धारा 3 उपधारा 13-ए और 61(1)(c)-भारतीय साक्ष्य अधिनियम (I का 1872) धारा 45-काम कर रहे स्टिल से लाहन की वसूली-आबकारी निरीक्षक का साक्ष्य जो उसके प्रशिक्षण की व्याख्या नहीं करता है और न ही यह निर्दिष्ट करता है कि लाहन की परीक्षण उसके प्रशिक्षण का हिस्सा कैसे था-ऐसा साक्ष्य-क्या स्वीकार किया जा सकता है-लाहन को विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए या नहीं।

यह माना गया कि लाहन को विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा साबित करने का अनुमान निराधार है और इस प्रस्ताव के लिए कोई वैधानिक नियम या अन्य सिद्धांत नहीं है। चूंकि न तो प्रमाण के तरीके का निर्धारण पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 द्वारा किया गया है और न ही यह बताया गया है कि यह विशेषज्ञ के साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आबकारी निरीक्षक का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि अभियोजन को सामान्य तरीके से बोझ उठाना होता है ताकि प्राप्त सामग्री को कानून द्वारा निर्धारित परिभाषा के अंतर्गत लाया जा सके। ऐसा होने पर, साक्ष्य के मूल्यांकन और उसे दिए गए वजन पर आम नियम पर वापस जाना होगा। इसलिए, अभियोजन पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 3 उपधारा 13 ए की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य गवाह को भी पेश कर सकता है।

(अनुच्छेद 9 और 10)

गरदावर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1975, सी.एल.आर. 246
रघबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1976, सी.एल.आर. 81

ख़ारिज कर दिया

अमर दत्त, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए
डी. डी. जैन, अधिवक्ता, ए. जी. के लिए

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रामनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा